79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2076-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.3.2016 - पारित व्दारा अधीक्षक, भू अभिलेख, जिला नरसिंगपुर - प्रकरण कमांक 15/2015-16 अ-16

अशोक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन
निवासी लक्ष्मीनारायण बार्ड करेली
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर ---आवेदक

विरूद्ध

नारायण दास नेमा पुत्र तुलसीराम नेमा
निवासी लक्ष्मीनारायण बार्ड करेली
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सॅजय दुबे)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 11 - 2016 को पारित)

अधीक्षक, भू अभिलेख, जिला नरसिंगपुर व्दारा प्रकरण कमांक 15/2015-16 अ-16 में तहसीलदार करेली को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.3.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष आवेदन 8-2-16 प्रस्तुत कर मौजा करेली की भूमि सर्वे नंबर 123/10 एंव 123/11 तथा उससे लगे हुये रकबा सर्वे नंबर 125 के सीमांकन किये जाने की मांग की। अनावेदक का यह आवेदन अधीक्षक भू अभिलेख को

निराकरण हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 14, 21, 26 फरवरी को मौके पर सीमांकन किया गया तथा अधीक्षक भू अभिलेख नरसिंहपुर ने सीमांकन प्रतिवेदन कमांक 449/भू0अ0/प्र0अ0भू0अ0/2016 दिनांक 10-3-16 तहसीलदार करेली को भेजा। तहसील कार्यालय में इस प्रतिवेदन पर से राजस्व निरीक्षक वृत्त करेली ने दिनांक 14-3-2016 को पक्षकारों की सुनवाई हेतु सीमांकन प्रकरण दर्ज किया। इसी कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसील कार्यालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीक्षक भू अभिलेख ने राजस्व निरीक्षक को पत्र दिनांक 9-2-16 भेजकर मौके पर सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु सूचित किया है एंव 14,21,26 फरवरी 26 को मौके पर कार्यवाही करना बताया है किन्तु सीमांकन कार्यवाही की सूचना आवेदक को नहीं दी गई है जबकि अनावेदक की भूमि से आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 123/8 लगी हुई भूमि है। आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन करके उसके सर्वे नंबर 123/8 की भूमि में से अनावेदक की भूमि निकाल दी एंव आवेदक को कोई सूचना नहीं दी। इस प्रकार एकपक्षीय सीमांकन कार्यवाही है । आवेदक ने सर्वे नंबर 123/8 का भूखंड कय करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया है आवेदक का अनावेदक की भूमि पर कब्जा न होते हुये भी एकपक्षीय सीमांकन करते हुये आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है इसलिये अधीक्षक भू अभिलेख की समस्त कार्यवाही एंव प्रकरण कमांक 15/2015-16 अ-16 में पारित आदेश दिनांक 10.3.2016 निरस्त किया जाय।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि अधीक्षक भू अभिलेख का कमांक 15/2015-16 अ-16 दिनांक 10.3.2016 प्रतिवेदन है जो अंतिम नहीं है और जब प्रतिवेदन दिनांक 10.3.2016 पर कोई आदेश ही नहीं हुआ है तब निगरानी व्यर्थ है इसलिये इसी-स्तर पर निरस्त की जावे।

5- उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ

न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक के आवेदन पर सीमांकन कार्यवाही की जाकर अधीक्षक भू अभिलेख नरसिंगपुर ने सीमांकन प्रतिवेदन कमांक 15/2015-16 अ-16 दिनांक 10.3.2016 तहसीलदार करेली को भेजा है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अंतर्गत सीमॉकन की शक्तियॉ राजस्व निरीक्षकों को भी दी गई है जिसके कारण तहसीलदार करेली व्दारा उक्तांकित प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक वृत्त करेली को मार्क कर कार्यवाही हेतु अंतरित किया है और राजस्व निरीक्षण ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 14-3-16 को लिखकर सीमांकन प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है , सीमांकन को अंतिमता प्रदान नहीं की है । जब आवेदक को तहसील कार्यालय में राजस्व निरीक्षक के समक्ष अपना पद्वा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है एंव सीमांकन कार्यवाही पर किसी प्रकार का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है विचाराधीन निगरानी सारहीन एंच व्यर्थ है जिसके कारण आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने एंव अप्रचलनशील पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर